न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आइ0ए0एस0

विविध आवेदन सं. 21/2019

प्रार्थी– उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) बाड़मेर	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–** 1. नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, मुख्य शाखा–7–1–621/34, एसआर नगर मैन रोड, हैदराबाद ब्रांच ऑफिस– प्लॉट नंबर 2/33, चन्द्रकिशन, वीरकुमार सर्किल तोपदड़ा अजमेर (राज.) 2. श्री भंवरसिंह, दुर्गसिंह राजपूत एवं नितेश कुमार, मैनेजर नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद 3. श्री नारणाराम पुत्र हडुमानराम निवासी हनुमानपुरा राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन गिरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
4. शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 27.10.2016 को प्रार्थी द्वारा श्री स्वरूपसिंह पुत्र रेवंतसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर की शिकायत पर नारणाराम पुत्र हडुमानराम निवासी हनुमानपुरा के ट्यूबवेल पर निरीक्षण के दौरान एक कमरे में नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद की निर्मित सिटी कम्पोस्ट बैच नंबर AA18X16 के 197 बैग व बैच नंबर AA13X16 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

15 बैग कुल 212 बैग (प्रत्येक बैग 40 किग्रा पैकिंग) पाये गये। मौके पर नारणाराम द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद के कार्मिक किसानों को अधिक पैदावार का झांसा देकर बुकिंग लेते हैं एवं कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा खाद को खेती हेतु उत्तम बताया गया था इसलिये नारणाराम द्वारा भी 10 बैग की बुकिंग करवाई। मौके पर 5 रसीद बुकें (क्रम संख्या 13441 से 13450, 13631 से 13640, 49441 से 49450, 48781 से 48790 व 14011 से 14020) जब्त की गई। नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद के तीन मैनेजर श्री भंवरसिंह, दुर्गसिंह राजपूत व नितेश कुमार द्वारा बेचे जा रहे खाद (सिटी कम्पोस्ट) के बेचान हेतु कोई वैध अनुज्ञा पत्र दस्तावेज मौके पर नहीं पाया गया। मौके पर पाये गये सिटी कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जांच हेतु लिखित सूचना नारणाराम को देकर नमूना लिया गया एवं मौके पर मौका पर्चा तैयार किया गया। नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा सिटी कम्पोस्ट के नाम से बेचे जा रहे खाद का बिना अनुज्ञा भण्डारण एवं विक्रय करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 13(1), 14, 15, 19(सी)(vii) का उल्लंघन किया गया। इस पर मौके पर नारणाराम को नोटिस देकर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28(1)(डी) के अनुसरण में सिटी कम्पोस्ट बैच नंबर AA18X16 के 197 बैग व बैच नंबर AA13X16 के 15 बैग कुल 212 बैग (प्रत्येक बैग 40 किग्रा पैकिंग) जब्त किये गये। मौके पर मौका नक्शा एवं फर्द जब्ती तैयार की जाकर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जब्तशुदा सामग्री मैसर्स जगदम्बा कृषि यंत्रणालय, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर के अधिकृत विक्रेता श्री स्वरूपसिंह पुत्र रेवंतसिंह को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया। मौके से प्राप्त उर्वरक के नमूना की जांच निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद से करवाई गई जिस पर निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद द्वारा बाद जांच उक्त नमूना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में अवमानक घोषित किया गया। अप्रार्थीगण को उक्त जांच नमूना प्राप्त होने पर जरिये पत्र दिनांक 27.10.2016 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद के कार्मिकों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 13(1), 14, 15, 19(सी)(vii) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत पुलिस थाना शिव में प्राथमिकी संख्या 206/2016 दिनांक 29.10.2016 दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद के कार्मिकों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 13(1), 14, 15, 19(सी)(vii) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। दौरान सुनवाई प्रकरण मे जब्तशुदा उर्वरक का अन्तरीम निस्तारण हेतु उपनिदेशक कृषि (विस्तार) बाड़मेर, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) बाड़मेर एवं कोषाधिकारी बाड़मेर की कमेटी का गठन किया जाकर आदेशित किया गया कि जब्तशुदा उर्वरक का यथेचित मूल्य का आंकलन कर उभय पक्ष की उपस्थिति में निस्तारण किया जावे एवं प्राप्त राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराई जावे। इस आदेश के अनुसंरण में कमेटी द्वारा जब्तशुदा उर्वरक का निस्तारण नहीं किया एवं कार्यवाही अपेक्षित रहीं है।

3. अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कार्मिक होने से अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई।

कार्यालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उर्वरक भण्डारण एवं विक्रय किये जाने का कोई वैध लाईसेंस न तो वक्त मौका निरीक्षण प्रस्तुत किया गया और न ही जांच कार्यवाई के दौरान एवं इस प्रार्थना–पत्र के प्रतिरक्षण में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 13(1), 14, 15, 19(सी)(vii) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें। इसके जवाब मे अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य उनकी ओर से स्वीकृत है तथा प्रकरण मे मौन रहना भी अपराध की स्वीकारोक्ति है। ऐसे मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति मानते हुए कोई अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साक्ष्य/गवाहान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने एवं मौन स्वीकृति को सर्वोत्तम साक्ष्य मानते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 नारणाराम पुत्र हडुमानराम निवासी हनुमानपुरा के ट्यूबवेल पर दौरान निरीक्षण दिनांक 27.10.2016 जब्तशुदा सिटी कम्पोस्ट बैच नंबर AA18X16 के 197 बैग व बैच नंबर AA13X16 के 15 बैग कुल 212 बैग (प्रत्येक बैग 40 किग्रा पैकिंग) जो अप्रार्थी संख्या 1 नवभारत फर्टीलाइजर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा निर्मित को बिना वैध अनुज्ञा पत्र भण्डारण एवं विक्रय किया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 13(1), 14, 15, 19(सी)(vii) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन होने से धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2019 के अनुसरण में जब्तशुदा उक्त उर्वरक का निर्देशानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त होने वाली राशि को राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें। इसके साथ ही अन्य सामग्री जो जब्त की गई है का आपराधिक प्रकरण में न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

6. आदेश आज दिनांक 12.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested